भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
हेड ऑफिस : ए–13, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उ.प्र.), फोन : 0120–2527667

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) जलमार्ग का उपयोग करके कार्गो परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिसे रेल/सड़क की तुलना में परिवहन का सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना जाता है। परिणामस्वरूप, जलमार्ग के माध्यम से कार्गो परिवहन एक दशक पहले के 18 मिलियन टन की तुलना में 2023–24 के दौरान 133 मिलियन टन तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, भा.अ.ज.प्रा. ने 19.07.2024 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन को और बढ़ावा देने के लिए, भा.अ.ज.प्रा. ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर या उसके साथ ''अन्तर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल'' के विकास के लिए ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' (एनओसी) प्रदान करने के लिए मसौदा विनियमों को मंजूरी दी। इससे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन टर्मिनलों के नेटवर्क का विकास संभव होगा और समग्र परिवहन चेन में जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ेगी।

भा.अ.ज.प्रा. ने ड्रेजिंग/बंडालिंग के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धुबरी से डिब्रूगढ़, एनडब्ल्यू–16 (बराक), एनडब्ल्यू–37 (धनसिरी) और एनडब्ल्यू–57 (कोपिली) से एनडब्ल्यू–2 (ब्रह्मपुत्र) में कार्गो/यात्री जहाजों की निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में ड्रेजिंग के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी। यह भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से एनडब्ल्यू–1 पर वाराणसी से कोलकाता/हल्दिया से एनडब्ल्यू–2 और एनडब्ल्यू–16 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

भा.अ.ज.प्रा. ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता के माध्यम से हल्दिया मल्टी–मॉडल टर्मिनल के बर्थिंग क्षेत्र और अतिरिक्त चैनल के पास फेयरवे के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे क्षेत्र में व्यापार, खासकर बांग्लादेश के साथ एक्जिम व्यापार की संभावना बढ़ेगी।

भा.अ.ज.प्रा. ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में एनडब्ल्यू–1 (गंगा) के साथ विकसित 60 सामुदायिक जेटी के पास अपेक्षित गहराई प्रदान करने के लिए 5 एम्फिबियन ड्रेजर खरीदने का भी फैसला किया। इन जेटी का उपयोग स्थानीय समुदाय अपने दैनिक आवागमन के साथ–साथ अपने माल को पास के बाजारों में ले जाने के लिए करेंगे।

वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी–मॉडल टर्मिनल को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे अन्तर्देशीय जल परिवहन में कार्गो का मॉडल शिफ्ट और इन टर्मिनलों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होगा।

कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, वाराणसी में पहला हाइड्रोजन ईंधन पोत पेश किया गया है। भा.अ.ज.प्रा. ऐसे और जहाजों को खरीदने की प्रक्रिया में है। इन जहाजों के लिए हरित ईंधन उत्पन्न करने और उपलब्ध कराने के लिए, एमएमटी, वाराणसी में हाइड्रोजन प्लांट, स्टोरेज और वितरण सुविधा स्थापित करने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2016 में मौजूदा 5 से 111 तक राष्ट्रीय जलमार्ग की वृद्धि के साथ, परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भा.अ.ज.प्रा.को पुनर्गठित करने की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बोर्ड ने भा.अ.ज.प्रा. के पुनर्गठन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इससे सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर आवश्यक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भा.अ.ज.प्रा. की परिचालन दक्षता और मानव संसाधन क्षमताओं में वृद्धि होगी।